रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 1992/आश्विन 30, 1914
No. 203] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 1992/ASVINA 30, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1992

विषय : कतिपय यार्न फैब्रिक्स और मेड-अप्स मदों का उन देशों को होने वाले निर्यातों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जहां पर ऐसे निर्यात कलैण्डर वर्ष 1991-93 के लिये मात्रा संबंधी नियंत्रण के अधीन हों।

सं. 1/4/90-ई.पी. (टी एंड जे)-1(वस्त्र).—उपरोक्त विषय पर दिनांक 31-8-90, 15-10-90 और 11-12-91 की अधिसूचना सं. 1/4/90-ई.पी. (टी एंड जे)–1 (वस्त्र) की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ऐसा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-8-90 की अधिसूचना जिसको अधिसूचना दिनांक 15-10-90 और 11-12-90 द्वारा संशोधित किया गया था। में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं। ये संशोधन कलैण्डर वर्ष 1993 के लिये लागू होंगे।

(2) पैरा (4) का उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित नया पैरा प्रतिस्थापित किया जाए :

(4) (1) आवंटन वर्ष 1993 के लिये निर्यात की मात्राओं को उन प्रणालियों के अनुसार आवंटित किया जाएगा जिनकी दरों को उनके सामने दर्शाया गया है :

प्रणालियां	वार्षिक दर की प्रतिशतता
(क) विगत निष्पादन हकदारी (पीपीई)	40
(ख) संविदा आरक्षण हकदारी (सी आर ई)	18
(ग) पहले-आओ-पहले पाओ (एफ सी एफ एस) तैयार माल हकदारी	10
(घ) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम ई ई)	12
(ङ) गैर-कोटा निर्यातक हकदरी (एन क्यू ई) (जिसमें से गैर कोटा हथकरघा निर्यातकों के लिये 5 प्रतिशत आरक्षित हैं)	13
(च) विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी (पीईई)	5
(छ) सार्वजनिक क्षेत्र हकदारी (पी एस ई)	2
	100

(3) पैरा 12 का मौजूदा उप-पैरा (4) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाता है :

12(4) वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा निर्णित सुपात्र आवेदक की उत्पादन क्षमता के आधार पर कार्यकारी निदेशक, टैक्सप्रोसिल/एसआरटीईपीसी द्वारा उपलब्ध मात्रा का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक सुपात्र आवेदक उपरोक्त आवंटन के लिये अधिकतम 10 देशों/श्रेणियों के लिये विकल्प दे सकता है।

(4) उप-पैरा 6(3) को निम्नलिखित नये उप-पैरा 6(3) और 6(4) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

6(3) सी आर ई प्रणाली के अंतर्गत आवंटन की दो अवधियां अर्थात् पहली अवधि 1 जनवरी से 30 जून और दूसरी अवधि 1 जुलाई से 31 दिसंबर होगी। इस प्रणाली के अंतर्गत आवंटित कुल मात्रा का 60 प्रतिशत पहली अवधि में और बकाया 40 प्रतिशत का आवंटन दूसरी अवधि में किया जाएगा।

6(4) पहले-आओ--पहले-पाओ (आर जी) प्रणाली के अंतर्गत हकदारियों को वर्ष में चार बार पूर्व-निर्धारित तिथियों पर घोषित किया जाएगा।

(5) अधिसूचना दिनांक 11-12-91 द्वारा यथा-निगमित पैरा 7 में उप-पैरा (8) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

7(8) यदि एक ही निर्यातक पी पी ई प्रणाली, सी आर ई प्रणाली और एफ सी एफ एस (आर जी) प्रणाली के अंतर्गत निर्यात कर रहा है तो पी पी ई प्रणाली के अंतर्गत निर्यातक द्वारा उद्धृत मूल्य सी आर ई और एफ सी एफ एस (आर जी) प्रणालियों के अंतर्गत उसके द्वारा उद्धृत मूल्य से 10 प्रतिशत से कम हीं होना चाहिए।

(6) पैरा 16 में निम्नलिखित नया उप-पैरा (1) जोड़ दिया जाए :

16(1) यदि कोई निर्यातक किसी प्रणाली के अन्तर्गत अपनी हकदारियों की वैधता अवधि के दौरान या वैधता की समाप्ति के 3 दिनों की अवधि के भीतर अन्तरण कर देता है तो ई० एम० ई०/बी० जी० द्वारा की गई हकदारी का 50 प्रतिशत निर्यातक को रिलीज कर दिया जाएगा।

मौजूदा उप-पैरा 16(1) और 16(2) आदि को 16(2), 16(3) आदि संख्या क्रम में अंकित किये जाएं।

(7) मौजदा पैरा 17 को निम्नलिखित नये पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

(17) एक निर्यातक को जब उपर्युक्त पैरा 16 के अंतर्गत ई डी टैक्सप्रोसिल/एसआरटीईपीसी द्वारा जब्ती के आदेश द्वारा हानि पहुंचती है तो वह जब्ती संबंधी ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करेगा। अपीलों को निपटाते समय वह प्रभावी प्रमुख शर्तों, यदि कोई हों, को भी ध्यान में रखेगा। वह उनकी वैधता के दौरान, अनुपयुक्त हकदारियों को सौंपने में तत्परता को भी ध्यान में रख सकता है। इस उद्देश्य के लिए वस्त्र आयुक्त स्वयं द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी को शामिल कर सकेगा और उन्हें माध्यम बना सकेगा। अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे सकता है। यदि निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह संदेश प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्णय के विरुद्ध अपनी अपील की सूचना एपीलेट समिति, वस्त्र मंत्रालय को भेज सकता है।

(8) अधिसूचना दिनांक 31-8-1990 की अन्य सभी शर्तें, जिनको समय-समय पर संशोधित किया गया है, अपवर्तनीय रहेंगी।

एस. नारायणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 1992

Subject.—Guidelines for export in respect of certain Yarn, fabrics and Made-ups items to countries where such exports are under quantitative restraint for the calendar years 1991-93.

No. 1|4|90-EP(T&J)I (Textiles).—Attention is invited to Notifications No. 1|4|90-EP(T&J)I (Textiles) dated 31-8-91, 15-10-90 and 11-12-91 on the abovementioned subject. It has been decided to amend the Notification dated 31-8-90 as amended vide Notification dt. 15-10-90 and 11-12-90 as follows. These amendments will be applicable for the allotment year 1993.

2. Sub-para (1) of Para (4) shall be substituted by the following new para :—

4. (i) Quantities for export for 1993 allotment year shall be allocated according to the

following systems at rates indicated against each of them :—

Systems	Percentage of annual level
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	40
(b) Contract Reservation Entitlement (CRE)	18
(c) First-Come-First-Served (FCFS) Ready Goods Entitlement	10
(d) Manufacturer-Exporter Entitlement (MEE)	12
(e) Non-quota Exporter Entitlement (NQE)	13 (out of which 5% reserved for non-quota Handloom Exporters)
(f) Powerloom Exporters Entitlement (PEE)	5
(g) Public Sector Entitlement (PSE)	2
	100

(3) Existing sub-para (iv) of para 12 will be substituted by the following :

12(iv) Available quantity will be distributed by the Executive Director, TEXPROCIL|SRTEPC on the basis of production capacity of eligible applicant as decided by the Textile Commissioner. Each eligible applicant may opt for a maximum of 10 country|categories for the above allotment.

(4) Sub-para 6(iii) will be substituted by the following new sub-paras 6(iii) and 6(iv).

6(iii) There shall be two periods of allotments under CRE system i.e. 1st period shall be from 1st January to 30th June and the 2nd period from 1st July to 31st December. 60 per cent of the total quantities earmarked under this system will be allotted in the first period and the remaining 40 per cent in the second period.

6(iv) Entitlements under the FCFS(RG) system will be opened four times in the year on pre-determined dates.

(5) Sub-para (viii) in para 7 as incorporated by the Notification dated 11-12-91 will be substituted by the following :

7(viii) When the same exporter is exporting under PPE system, CRE system and FCFS (RG) system, the price quoted by the exporter under PPE system should not be lower by more than 10 per cent of the price quoted by him under CRE and FCFS (RG) system.

(6) The following new sub-para (i) will be added in para 16 :

16(i) If an exporter surrenders his entitlements under any system either during the validity period or within a period of 3 days of the expiry of the validity, 50 per cent of the EMD|BG covered by the entitlement would be released to the exporter.

The existing sub-paras 16(i) and 16(ii) etc. will be renumbered as 16(ii), 16(iii) etc.

(7) The existing para 17 will be substituted with the following new para :

(17) An exporter when aggrieved by an order of forfeiture by Executive Director TEXPROCIL|SRTEPC under para 16 above may appeal before the Textile Commissioner within 15 days of receipt of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of such representation give a ruling as early as possible. While disposing of appeals, he may also take into consideration force majeure conditions if any. He may also take into consideration the promptness in surrendering of unutilised entitlements during the validity. For the purpose the Textile Commissioner shall mean and include such other officer designated by him. He shall also give an opportunity for personal hearing if requested for by the applicant. If the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of the receipt of the communication conveying the decision, to the Appellate Committee, Ministry of Textiles.

(8) All other terms and conditions in the Notification dated 31-8-1990 as amended from time to time remain unchanged.

S. NARAYANAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1992

विषय :—कलैण्डर वर्ष 1991-93 के लिये उन देशों को कतिपय परिधानों और निटवियर के संबंध में निर्यात संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जिन देशों में इस प्रकार के निर्यात को मात्रा प्रबन्धों के तहत कवर किया जाता है।

सं. 1/4/90-ई.पी. (टी एण्ड जे)-1 (अपैरल)—उपरोक्त विषय अपेरल पर दिनांक 31-8-1990 की अधिसूचना सं. 1/4/90-ई. पी. (टी एण्ड जे)-1 (अपेरल) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसको बाद में दिनांक 7 अगस्त, 1991 सं. 1/99/90-ई.पी. (टी एण्ड जे) 1, 13 नवम्बर, 1991 और 11 दिसम्बर, 1991 सं. 1/4/90-ई.पी. (टी एण्ड जे)-1 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था। ऐसा

निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-8-90 की अधिसूचना सं. 1/4/90-ई.पी. (टी एण्ड जे)-1 (अपेरल) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :—

2. पैरा 7 का उप-पैरा (2) को निम्नलिखित पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

7(2) आवेदकों द्वारा प्रत्येक देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान निर्यात के मूल्य के आधार पर उपलब्ध स्तरों को समानुपात में आबंटित किया जाएगा। तथापि आधार अवधि के दौरान देश/श्रेणी में भारत का वार्षिक औसत निर्यात निष्पादन तक ही आवंटनों को सीमित रखा जाएगा।

तथापि ऐसी श्रेणियां जिनके अन्तर्गत शीर्षस्थ 10 निर्यातक 60 प्रतिशत पी पी ई हकदारियों से अधिक के लिये उत्तरदायी है तो शीर्षस्थ 10 निर्यातकों की कुल हकदारियों को पी पी ई 60 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रखा जाएगा और बकाया पी पी ई को पहले आओ-पहले-पाओ प्रणाली के अन्तर्गत सुपात्र निर्यातकों को आबंटित किया जाएगा।

3. पैरा 16 में उप पैरा (3) के बाद निम्नलिखित एक नया उप पैरा (4) जोड़ दिया जाए :

16(4) यदि कोई निर्यातक किसी प्रणाली के अन्तर्गत अपनी हकदारियों की वैधता अवधि के दौरान या वैधता अवधि की समाप्ति के 3 दिनों की अवधि के भीतर अभ्यर्पण कर देता है तो ई एस डी/वी जी या एल यू टी का 50 प्रतिशत रिलीज कर दिया जाएगा।

मौजूदा उप पैरा 16(4), 16(5) आदि को 16(5), 16(6) आदि के क्रम में अंकित किया जाए :

4. मौजूदा पैरा 17 को निम्नलिखित नये पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

17. एक निर्यातक को जब उपर्युक्त पैरा 16 के अन्तर्गत ई डी टैक्सप्रोसिल/एस आर टी ई पी सी द्वारा जब्ती के आदेश द्वारा हानि पहुंचती है तो वह जब्ती संबंधी ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करेगा। अपीलों को निपटाते समय वह प्रभावी प्रमुख शर्तों, यदि कोई हों, को भी ध्यान में रखेगा। वह उनको वैधता के दौरान, अनुपयुक्त हकदारियों को सौंपने में तत्परता का भी ध्यान में रख सकता है। इस उद्देश्य के लिए वस्त्र आयुक्त स्वयं द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी को शामिल कर सकेगा और उन्हें माध्यम बना सकेगा। अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे सकता है। यदि निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह सन्देश प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्णय के विरुद्ध अपना अपील को सूचना एपलेट समिति, वस्त्र मंत्रालय को भेज सकता है।

5. उपरोक्त संशोधन आबंटन वर्ष 1993 के लिए लागू होंगे।

6. दिनांक 31-8-1990 की अधिसूचना सं. 1/4/90-ई.पी. (टी एण्ड जे)-1 (अपेरल) का सभी अन्य शर्तें, जिनको समय-समय पर संशोधित किया गया था, अपरिवर्तनीय रहेंगी।

एस. नारायणन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 1992

Subject.—Guidelines for export in respect of certain garments and knitwear to countries where such exports are covered under quantitative restraints for the calendar years 1991-93.

No. 1|4|90-EP(T&J)I (Apparels).—Attention is invited to Notification No. 1|4|90-EP(T&J)I (Apparels) dated 31-8-1990 on the above mentioned subject subsequently amended vide Notifications No. 1|99|90-EP(T&J)I dated 7th August, 91, No. 1|4|90-EP(T&J)I dated 13th November, 1991 and 11th December, 1991. It has been decided to amend the Notification No. 1|4|90-EP(T&J)I (Apparels) dated 31-8-90 as amended by the subsequent Notification as follows :

2. Sub-Para (ii) of para 7 will be substituted by the following :

7(ii) Available levels will be allotted pro-rata on the basis of the value of exports during the base period by the applicants in each country|category. Allotments, however, will be restricted to the annual average export performance of India in the country| category during the base period.

However, in those categories in which the top 10 exporters account for more than 60 per cent PPE entitlements, the total entitlements of the top 10 exporters will be pegged at the level of 60 per cent of PPE and the balance of PPE would be allocated under the FCFS System to eligible exporters.

3. The following new sub para (iv) will be inserted after sub para (iii) in para 16.

16(iv) If an exporter surrenders his entitlements under any system either during the validity period or within a period of 3 days of the expiry of the validity, 50 per cent of the EMD/BG or LUT will be released.

The existing sub para 16(iv), 16(v) etc., will be renumbered as 16(v), 16(vi) so on.

4. The existing para 17 will be substituted with the following new para :

17. An exporter when aggrieved by an order of forfeiture by DG, AEPC under para 16(v) above may appeal before the Textile Commissioner, Bombay against such forfeiture within 15 days of receipt of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner, shall, upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. While disposing appeals, he may take into consideration force majeure conditions. He may also take into consideration the promptness in surrendering the unutilised entitlements during the validity of the entitlements. For this purpose the Textile Commissioner shall mean and include such other officers as designated by him. If the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of the receipt of the communication conveying the decision, to the Appellate Committee, Ministry of Textiles.

5. The above mentioned amendments will be applicable for the allotment year 1993.

6. All other terms and conditions in the Notification No. 1|4|90-EP(T&J)I (Apparels) dated 31-8-1990 as amended from time to time remain unchanged.

S. NARAYANAN, Jt. Secy.

2607 GI/92—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992